(वाद सं0–4669/4/38/2021)

22.11.2023

परिवादी, कपिलदेव कामत, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, शीतलमणि (+2) उच्च विद्यालय, बड़हारा, मनोहरपट्टी, प्रखण्ड–मरौना, जिला–सुपौल द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के वार्षिक परीक्षा सत्र–2020–2021 हेतु परिवादी के पुत्र, पुरूषोत्तम कुमार, (R-126) का नामांकन शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म शुल्क वगैरह की राशि प्राप्त करने के बावजूद जान–बूझकर उक्त स्कूल द्वारा परिवादी के पुत्र का परीक्षा फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण परिवादी के पुत्र के उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है, से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। **निदेशक (मा0 शि0) बिहार, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पुत्र द्वारा उपरोक्त परीक्षा से सम्बन्धित फॉर्म विद्यालय में ससमय शुल्क जमा किये जाने के बाद भी उपरोक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा तकनीकी खराबी के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर परिवादी के शुल्क प्राप्ति से सम्बन्धित सूचना को अपलोड Upload नहीं किया गया। उनकी ओर से यह प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, श्रीमती संतोषी कुमार, के उपरोक्त लापरवाही के कारण उनके विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि प्रसंगाधीन मामले के सम्बन्ध में उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत

उसके द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की गई। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा परिवादी के मामले को सत्य पाकर यह उल्लेखित किया गया कि उपरोक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापिका की लापरवाही के कारण ही परिवादी के पुत्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया।

उपरोक्त पर पुनः जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सम्बन्धित विद्यालय की तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका, श्रीमती संतोषी कुमारी, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया तथा उनके वेतन से दो वेतन वृद्धि की कटौती करते हुए दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है साथ ही साथ उक्त विद्यालय के दोषी लिपिक, अरूण कुमार राम, को अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आधार पर निलंबित कर दिया गया है।

उपरोक्त पर पुनः परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि सम्बन्धित विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं लिपिक की लापरवाही के कारण ही उसके पुत्र, पुरूषोत्तम कुमार, का एक वर्ष से भी अधिक समय बर्बाद हो गया तथा वह मानसिक रूप से भी पीड़ित हो गया। परिवादी की ओर से इसके लिए क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पर पुनः जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, सुपौल का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि दोषी प्रधानाध्यापिका के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी का कथन है कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई से उसके पुत्र का बर्बाद हुआ एक वर्ष वापस नहीं लौट सकता है। उसकी ओर से पुनः उसके पुत्र के साथ

हुए उपरोक्त घटना में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त विद्यालय की तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका की लापरवाही से परिवादी के पुत्र, पुरूषोत्तम कुमार, का एक वर्ष का समय बर्बाद हो गया।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए जिला पदाधिकारी, सुपौल से यह अनुरोध है कि वह सम्बन्धित विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका, श्रीमती संतोष कुमारी, के वेतन से नियमानुसार 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) की कटौती कर क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी कपिलदेव कामत, को दिया जाना सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–15.04.2024 के पूर्व राज्य आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संचिका दिनांक–19.04.2024 को अनुपालन प्रतिवेदन की प्रत्याशा में उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव